



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक: 571/ कु0का0 / 2025

दिनांक: 28/03/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,

सम्बद्ध—महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों में प्राचार्य/प्रवक्ता चयन के लिए जिन महाविद्यालयों द्वारा विषय-विशेषज्ञ की मांग की गयी थी। विश्वविद्यालय द्वारा विषय-विशेषज्ञ नामित कर दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे समस्त महाविद्यालय 15 कार्य दिवस के भीतर प्राचार्य/प्रवक्ता चयन कराकर अनुमोदन प्राप्त कर ले तथा जिन महाविद्यालयों द्वारा अब तक प्राचार्य/प्रवक्ता चयन के लिए विषय-विशेषज्ञ की मांग नहीं की गयी है वे सम्बन्धित विषयों/पाठ्यक्रमों में विषय-विशेषज्ञ प्राप्त कर नियमानुसार स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करना सुनीश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय में अगले सेमेस्टर से प्रवेश प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा।

भवदीय


कुलसचिव 03.05


प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मा0 कुलपति जी के सादर अवलोकनार्थ।

कुलसचिव